ˋछत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-''बिहान''
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 36वीं बैठक दिनांक 01.04.2026

-: कार्यवाही विवरण:-

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की 36वीं बैठक दिनांक 01.04.2026 को श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्य उपस्थित हुए | सूची परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एजेंण्डा क्रमांक 01 – परियोजना अनुमोदन समिति की 35वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 का पालन प्रतिवेदन-पालन प्रतिवेदन से समिति के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया। सभी सदस्य सहमत हुये।

एजेंण्डा क्रमांक 02 – DDU-GKY 1.0 अंतर्गत परियोजना प्रगति की जानकारी |

DDU-GKY 1.0 की परियोजनाओ के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

ऐसे PIA जिनके द्वारा Closure Documents जमा नहीं किये गए है, B1 Tracking नहीं किया गया है, Legacy Data कौशल भारत पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है तथा Closure हेतु निष्क्रिय रहने पर उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर SOP अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत 30 अप्रैल 2026 तक समस्त परियोजनाओ पर अंतिम निर्णय ले लिया जावे साथ ही निर्देशित किया गया की समस्त परियोजनाओ के closure 30 जून, 2026 तक पूर्ण करे|

-

एजेंण्डा क्रमांक 03 – DDU-GKY 2.0 की परियोजना प्रगति की जानकारी |

DDU-GKY 2.0 की परियोजनाओ के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. DDU-GKY 2.0 हेतु जारी दिशा-निर्देश कंडिका क्र. 5.2.7 में दिए गए प्रावधान अनुसार "*PIAs have to get trainees appointed within a month of completion of training. Their placement of sixmonth including placement proof submission, have to be achieved within 9-12 months of completion of training. The Placement percentage in a project shall be monitored based on parameters including the period defined for the purpose.*" अतः परियोजना अंतर्गत सभी हितग्राहियों का नियोजन (Appointment) बैच समाप्ति के 30 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाना है| PIA द्वारा निर्धारित अवधि में हितग्राहियों का नियोजन पूर्ण नहीं करने पर प्रति हितग्राही प्रति दिवस राशी रु. 100 की पेनाल्टी अधिरोपित किये जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया|

2 DDU-GKY 2.0 हेतु जारी SOP के बिंदु D की तालिका 1-2 के E14 में दिए गए प्रावधान अनुसार "*Official closure of the projects - 1 2 months after completion of training and placement of the sanctioned target*" अतः PIA द्वारा परियोजना समाप्ति की कार्यवाही परियोजना समाप्ति तिथि से 12 माह तक के समय में पूर्ण की जावे| निर्धारित 12 माह की अवधि में PIA द्वारा परियोजना समाप्ति हेतु दस्तावेज जमा नहीं करने, B1 Tracking नहीं करने एवं निर्धारित अवधि में परियोजना समाप्त नहीं होने पर प्रति माह कुल परियोजना लागत की 1 प्रतिशत की पेनाल्टी अधिरोपित किये जाने का

निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया|

3. DDU-GKY 2.0 अंतर्गत हितग्राहियों के Pending Assessment के संबंध में Assessment Module उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लेख किया जावे|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 04</u> – PIA पर अधिरोपित पेनाल्टी की दर पर पुनर्विचार के संबंध में निर्णय |

परियोजना अनुमोदन समिति की 32वीं बैठक दिनांक 22.08.2025 में PIA Shiv Pratishthan (P2) द्वारा 1 हितग्राही के Bank Verification में गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के कारण मेजर पेनाल्टी के रूप में Total Project Cost की 10% penalty अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया था| उक्त पेनाल्टी में छूट हेतु PIA Shiv Pratishthan (P2) द्वारा अपील किया गया था| इस संबंध में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पूर्व में ऐसे प्रकरणों में MoRD तथा राज्य द्वारा अधिरोपित किये गए पेनाल्टी के प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हए PIA Shiv Pratishthan (P2) पर कुल परियोजना लागत की 2% की पेनाल्टी अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 05</u> – ब्याज की राशी में छूट के संबंध में निर्णय |

PIA Centum Work Skills India Ltd. की माह फरवरी, 2018 के पश्चात् ब्याज की राशी में छूट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक की ब्याज की राशी पर 10% की दर से Compound Interest(चक्रवृद्धि ब्याज) लगाते हुए सम्पूर्ण राशी की गणना कर PIA को राशी 1 माह के भीतर जमा करने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया| निर्धारित १ माह में राशि जमा नहीं किये जाने पर PIA पर Blacklisting की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 06</u> – PIA की परियोजना अवधि में वृद्धि के संबंध में निर्णय |

समिति द्वारा चर्चा उपरांत PIA Smartskills Bits and Bytes Private Limited (Additional Target) को प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन एवं नियोजित डाटा कौशल भारत पोर्टल में अद्यतन करने हेतु पूर्व में स्वीकृत 12 माह की परियोजना अवधि में नियमानुसार अतिरिक्त 02 माह की वृद्धि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया|

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।
(अध्यक्ष, **PAC** द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
ASHWANI DEWANGAN
Date: 07-04-2026
16:10:08

अश्वनी देवांगन (IAS)
मिशन संचालक, (सदस्य-सचिव)
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

–

परियोजना अनुमोदन समिति की 36 वीं बैठक दिनांक 01.04.2026 में

उपस्थित सदस्य

परिशिष्ट-अ

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति निहारिका बारिक सिंह	अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री अश्वनी देवांगन (IAS)	सदस्य सचिव / मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
3	इंद्रप्रकाश रात्रे	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4	अंकिता गर्ग	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
5	श्री अरविन्द कुमार अहिरवार	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग